



**RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY**  
RAJASTHAN HIGH COURT CAMPUS, JAIPUR BENCH, JAIPUR.  
(Phone: 0141-2227481, Fax : 2227602 Toll Free Help Line : 9928900900)  
Email: [rj-slsa@nic.in](mailto:rj-slsa@nic.in), website: [www.rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in)

## जिला विधिक सेवा प्राधिकरण .....

### राजकीय नारी निकेतनों का निरीक्षण प्रारूप

क्र.सं.	विषय	वर्तमान स्थिति		
1.	गृह का प्रकार:- (नारी निकेतन)			
2.	गृह का नाम एवं पूर्ण पता सम्पर्क नम्बर एवं ई-मेल आई.डी.			
3.	गृह प्रभारी का नाम एवं पूर्ण पता सम्पर्क नम्बर एवं ई-मेल आई.डी.			
4.	निरीक्षणकर्ता का नाम, पद व मोबाईल नं.	सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  महिला न्यायिक अधिकारी		
5.	निरीक्षण के दौरान आवासित महिलाओं/बच्चों की संख्या			
6.	निरीक्षण की दिनांक एवं समय			
7.	भवन की स्थिति:-			
	क्र.सं.	सुविधाएं	संख्या	भौतिक संरचना
	1.	कार्यालय अधिकारी/कर्मचारी कक्ष		
	2.	खेल का मैदान/स्थान		
	3.	मनोरंजन कक्ष/डायनिक हॉल		
	4.	पुस्तकालय कक्ष		
	5.	राशन/स्टोर भण्डार कक्ष		
	6.	रसोई कक्ष		
	7.	शयनकक्ष		
	8.	शौचालय/स्नान		
8.	क्या भवन की सफाई व्यवस्था संतोषप्रद है ?			
9.	क्या आवासनियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है ? यदि किसी आवासनी को विशेष चिकित्सा की आवश्यकता होती है तो क्या उसका प्रबन्ध किया जाता है।			

10.	गर्भवती आवासनी के स्वास्थ्य व उसकी गर्भावस्था को ध्यान में रखकर उसकी चिकित्सा अथवा जांच सुनिश्चित की जाती है अथवा नहीं	
11.	क्या नारी निकेतन में आवासनियों को पर्याप्त मात्रा में और स्वच्छ वस्त्र उपलब्ध कराये जाते हैं अथवा नहीं	
12.	क्या नारी निकेतन में hygiene का ध्यान रखा जाता है? क्या नारी गरिमा और सम्मान बनाये रखते हुए उन्हें गुणवत्तापूर्ण Sanitary Napkins आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाये जाते हैं?	
13.	शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण का विवरण:— क्या The Rules For The Administration Admission And Rehabilitation Of Persons In Homes And Shelters 1970 के नियम 18 के तहत राज्य के खर्चे पर शिक्षा प्रदान की जा रही है या नहीं।	
14.	क्या The Rules For The Administration Admission And Rehabilitation Of Persons In Homes And Shelters 1970 के नियम 19 के तहत किसी प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थान में कराया जा रहा है अथवा नहीं	
15.	क्या The Rules For The Administration Admission And Rehabilitation Of Persons In Homes And Shelters 1970 के नियम 28 के तहत नारी निकेतन में रह रही महिलाओं की उनके परिवार के साथ मेल-जोल व वार्तालाप के प्रबंध किए जाते हैं	
16.	<p>नारी निकेतन में मेन्टली चलेन्ज महिलाओं की स्थिति</p> <p>1 मेन्टली चलेन्ज महिलाओं की संख्या कितनी है</p> <p>2 मेन्टली चलेन्ज महिलाओं को किसके द्वारा भर्ती करवाया गया है</p> <p>3 मेन्टली चलेन्ज महिला कब से भर्ती है</p> <p>4 मेन्टली चलेन्ज महिला के चिकित्सा के क्या प्रबंध किये गये हैं?</p>	
17.	क्या संस्था में परामर्शदाता की व्यवस्था है हां या नहीं (नाम सहित विवरण)	
18.	भोजन व्यवस्था	(सुबह चाय नाश्ता, दोपहर भोजन, सायं चाय, फूल, रात्रि भोजन) आवासनियों की बच्चियों को दूध दिया जा रहा है।
19.	नारी निकेतन में आवासनियों के साथ रह रहे बच्चों की शिक्षा के क्या प्रबन्ध हैं ?	
20.	<p>नारी निकेतन में विगत 3 वर्षों में कितनी महिलाओं का पुनर्वास किया गया है</p> <p>2018</p> <p>2017</p> <p>2016</p>	

21.	क्या पुनर्वास की गयी महिलाओं का फॉलोअप किया जाता है		
22.	प्रबंधन व्यवस्था		
	1.	क्या नारी निकेतन में सलाहकार समिति गठित है यदि हां तो अंतिम बैठक की तिथि	
	2.	क्या गृह में प्रबंधन समिति गठित है यदि हां तो अंतिम बैठक की तिथि व प्रति	
	3.	कुल कितने गार्ड है	
	4.	महिला व पुरुष गार्ड का विवरण	
23.	नारी निकेतन के कार्यरत् अधिकारियों/कार्मिकों का विवरण		
क्र.सं.	पद नाम	नाम	कार्य ग्रहण दिनांक
1.	अधीक्षक		
2.	परीविक्षा अधिकारी		
3.	लिपिक ग्रेड प्रथम/द्वितीय		
4.	नर्स		
5.	चिकित्सक		
6.	परामर्शदाता/मनोवैज्ञानिक		
7.	शिक्षक की व्यवस्था		
8.	सफाईकर्मी		
9.	रसोईयां		
निरीक्षण के दौरान पाये गये अन्य बिन्दू:-			

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर